



भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय/
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

DEFENCE R&D ORGANISATION

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बंगलोर
MARATHAHALLI COLONY P.O.
BANGALORE - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. /Type Approval No.1261

मद/FOR ITEM: रियर व्यू प्रिस्म/Rear View Prism

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड(एचएआरटीआरओएन), आईडीडीसी कांप्लेक्स, स्टाफ रोड, अम्बाला कैंन्ट-133 001(भारत) द्वारा विकसित एवं उत्पादित "यूएसएसआर प्रिस्म पार्ट सं.टीएस-27एमएसएच के बदले में रियर व्यू प्रिस्म पार्ट सं.एन377-06-03", को आरेखन सं.एन377-06-03 के अनुसार, मिग-21 वायुयान के लिए रियर हेमीस्फियर का व्यू प्रदान करने के लिए केनोपी हूड में उपयोग हेतु, उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। इसे आर.सी.एम.ए(नासिक) के समन्वय से परिचालित विनिर्देश/टेस्ट शेड्यूल सं.टीएस/आईएनडी/06/13 एएमएल-1 दिनांक 25/9/84 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह पदार्थ परिशिष्ट 'ए' में संलग्न वर्गरिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेन्ट में विवरित विनिर्देश/परीक्षण सम्बंधी आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

*This is to certify that the "Rear View Prism, Part No: N377-06-03" against USSR Prism P/N: TS-27AMSH, developed and manufactured by M/s Haryana State Electronics Development Corporation Ltd (HARTRON) IDDC Complex, Staff Road, Ambala Cantt - 133 001 (India), is hereby approved for production as per drawing No. N377-06-03 for use in canopy hood for providing view of rear hemisphere for MiG-21 aircraft. It has been tested as per governing specification / test schedule No **TS/IND/06/13 AML-1** dated 25/9/84, in co-ordination with **RCMA (Nasik)**. The product has met the requirements of the specification/tests as detailed in the type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.*

पृष्ठ/Page 01 of 02

FLAG
A
B
C
D

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के बाद उत्पाद को प्रदत्त अनंतिम निकासी रद्द हो जाती है। ऊपरलिखित वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संगत आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिये।

The provisional clearances issued to the product are superceded consequent to the issuance of this type approval. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी पर आधारित है तथा सभी उत्पादित बैचों के परीक्षण रिपोर्टों को अग्रेषित किया जाता है।

This approval is contingent upon the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India, and forwarding the test reports of all batches produced.

4. यह वर्ग अनुमोदन 30 जून 2012 तक वैध है और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए आर.सी.एम.ए(नासिक), एचएएल(नासिक प्रभाग), ओझर टाउनशिप - 422 207 द्वारा सेमिलाक से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 30th June 2012 and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request CEMILAC through RCMA (Nasik), HAL (Nasik Division) Ojhar Township-422207 for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval.

5. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण में स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रेकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलाक), बेंगलोर की पूर्व सहमति लेनी होगी।


Prior agreement of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bangalore, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or if changes within the Type Record Compliance Statement enclosed are effected.


संलग्न/End : परिशिष्ट 'ए' /Appendix 'A'

सं/No: सेमिलाक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA- 1261

दिनांक/Date : 28 Apr 2007

फेक्स सं/Fax No: 080-25230856


(के. तमिलमणि/K.TAMILMANI)
मुख्य कार्यपालक(उडनयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)


04/04/07 4/4/07